1.	योजना का नाम	**अनुप्रति योजना-2** (राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) परीक्षा हेतु
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) परीक्षा में प्री परीक्षा में एवं मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 2005-06 (1 अप्रेल, 2005 से प्रभावी)
4.	लाभान्वित वर्ग	अनुसूचित जाति के अभ्यार्थी
5.	पात्रता	1. आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग को हो। 2. राजस्थान का मूल निवासी हो। 3. अभ्यार्थी के परिवार की अधिकतम आय रूपये 2.00 लाख से अधिक न हो। 4. अभ्यार्थी द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा एवं प्रधान (मुख्य) परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र पेश करना होगा। 5. अभ्यार्थी को एक शपथ पत्र देना होगा कि उसने यह राशि चालू वित्तीय वर्ष में पूर्व में प्राप्त नहीं की है। 6. जो अभ्यार्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में कार्यरत हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
6.	देय सुविधाएं	अनुदान सहायता – • प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर रू.25,000 • मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 20,000 रूपये। • साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अंतिम रूप से चयन) होने पर 5,000 रूपये।
7.	आवेदन का तरीका	निर्धारित प्रारूप में परिणाम घोषित होने के उपरान्त 30 दिवस में।
8.	आवेदन कहाँ किया जावे	आवेदन सम्बन्धित जिले के जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को किया जायेगा।

9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	• जाति प्रमाण पत्र • मूल निवास प्रमाण पत्र • आय प्रमाण पत्र तहसीलदार या उच्च राजस्व अधिकारी या पिता/संरक्षक राजकीय/निजी क्षेत्र में कार्यरत हों तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी • अभ्यार्थी द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र पेश करना होगा।
10.	सम्पर्क सूत्र	जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।